न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—138 सन् 2018

ध्रुपति देवी वगै0..........................वादी।

बनाम

नवल सिंह वगैरह..........................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 16.02.2024

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से आदेश 22 नियम 04 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 02.11.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी सं0 27 विशेखी साह वल्द स्व0 गोधन साह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 09.10.2023 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 27 का नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 27 विशेखी साह का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 27 विशेखी साह वल्द स्व0 गोधन साह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 09.10.2023 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन समय सीमा के अंतर्गत शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 02.11.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.........................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।